

न्यायालय सहायक कलक्टर, अलवर

गिराजि... बनाम ... अहरी

18/3/21

वकील वादी अथवा वादी को प्रतिवर्षीय की लगकी हेतु लगवाना पेशा करने हेतु दिनांक 13/2/19 को आदेशित किया तथा दि० 29/10/20, 14/2/21 व 18/2/21 को न्यायालय के अन्तिम अवसर प्रदान करने के फलस्वरूप भी वकील वादी ने प्रतिवर्षीय की लगकी हेतु लगवाना पेशा नहीं किया। अतः, पार्टी का प्रार्थना कि अन्तर्गत एगु R 05 CPC के तहत अदम तकरीफ में खारिज किया जाव। पञ्जाबी नाम से काम होकर वाद तकरीफ दाखिल दस्तावेज पञ्जाबी मूल का के साथ संलग्न है। (सुभाषचन्द्र)

सहायक कलक्टर  
अलवर (राज०)

